न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 07/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/7)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. निर्मल सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. बेअन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. अजायब सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. नारायण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरजन्ट सिंह पुत्र मोदन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. जलधंर सिंह पुत्र मोदन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. ठाना सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. सरूप सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. निक्की पुत्री नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(फौत) 8/1. बूटा सिंह पुत्र संत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 8/2. गुरप्रीत कौर पुत्री संत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 9. बोबी पुत्री नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर(फौत) 9/1. हरदीप सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 जे एम, ग्राम पंचायत 15 एल एम, अनुपगढ, जिला अनुपगढ। 9/2. अंग्रेज सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 जे एम, ग्राम पंचायत 15 एल एम, अनुपगढ, जिला अनुपगढ। 9/3. परमजीत कौर पत्नी दया सिंह पुत्री रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. हाकम सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(फौत) 10/1. हाकम सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर 11. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 12. बलविन्द्र कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 13. संदीप कौर पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 14. बसन्त कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 15. नायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.01.2024

उपस्थितः1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

2. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7, 10/2, 12 ता 15

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

--निर्णय--

दिनांकः 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127/127 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 21, 60/7 की कुल 8.423 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी संख्या 1 निर्मल सिंह के नाम 1.800 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 बेअन्त सिंह के नाम 0.632 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने काश्त सहुलियत के लिए आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर रखा है। मौखिक बंटवारा अनुसार वादीगण को चक 11 एस के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर नहरी एंव 0.025 हैक्टेयर खाल, किला नम्बर 7, 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 10, 11 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12, 13, 14 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 15 की 0.114 हैक्टेयर नहरी, 0.013 हैक्टेयर खाल, किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक 0.019 हैक्टेयर कुल 2.430 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण आजतक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से करीब 10 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण को सम्पर्क कर इस संबंध में पुनः विचार विमर्श किया तो उनके द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि यदि आपको कोई अनुतोष या राहत चाहते हो तो संबंधित न्यायालय में कार्यवाही कर, अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सकते हो। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प हम वादीगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127/127 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 21, 60/7 की कुल 8.423 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्वर 21 के किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर नहरी एंव 0.025 हैक्टेयर खाल, किला नम्बर 7, 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 10, 11 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12, 13, 14 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 15 की 0.114 हैक्टेयर नहरी, 0.013 हैक्टेयर खाल, किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक 0.019 हैक्टेयर कुल 2.430 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को मृतक दर्ज किया जाकर उनके विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7, 10/2, 12 ता 15 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1 बावजूद तामिल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10/2, 12, 13, 14, 15 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 2 व 5 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2, 5 का जवाबदावा बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है, वादीगण को प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10/2, 12, 13, 14, 15 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2, 5 का जवावदावा बन्द है। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10/2, 12, 13, 14, 15 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के वंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10/2, 12, 13, 14, 15 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127/127 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 21, 60/7 की कुल 8.423 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 75/23 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 60/6 की कुल 3.110 हैक्टेयर, खाता संख्या 111/111 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 0.480 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण निर्मल सिंह, बेअन्त सिंह व प्रतिवादीगण सतवीर कौर, सरूप सिंह, परमजीत कौर, बलविन्द्र कौर, संदीप कौर, बसन्त कौर, नायब सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}
(civil procedure code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

निर्मल सिंह आदि बनाम अजायब सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 07/2024
निर्णय दिनांकः-30.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127/127 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 21, 60/7 की कुल 8.423 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 75/23 के मुरब्बा नम्बर 5, 9, 60/6 की कुल 3.110 हैक्टेयर, खाता संख्या 111/111 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 0.480 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण निर्मल सिंह, बेअन्त सिंह व प्रतिवादीगण सतवीर कौर, सरूप सिंह, परमजीत कौर, बलविन्द्र कौर, संदीप कौर, बसन्त कौर, नायब सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांकः 30.08.2024

क्रमांकः रीडर/2024/482
प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर